न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 586–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 199/अपील/2007–08

हरिप्रसाद आत्मज चेतराम गौली
निवासी कुण्डी तहसील शाहपुर जिला बैतूल

.....आवेदक

विरूद्ध

भैयालाल आत्मज कन्हैयालाल गौली,
निवासी कुण्डी तहसील शाहपुर जिला बैतूल .....अनावेदक

श्री आर0डी0दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के नाम रामकुण्डी स्थित भूमि सर्वे कमांक 111/2 रकबा 0.202 हेक्टेयर थी उस पर 12 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा होने के कारण अनावेदक द्वारा कब्जा दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–1–1998 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल तक निगरानी प्रचलित हुई और राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 10–11–2005 को आदेश पारित कर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई ।

तदोपरांत आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष कब्जे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 29–9–2006 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–2007 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–5–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उठाये गये आधारो एवं अनावेदक के तर्क व अभिलेख पर विचार कर किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और उसके द्वारा ही कृषि कार्य किया जा रहा है जिसे आवेदक द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्षो को समझ पाने में त्रुटि की गई है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में कब्जा दर्ज कराने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर आवेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो कि राजस्व मण्डल से स्थिर रखा गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय को यह निष्कर्ष लेना चाहिये था कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होने के संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत की है और उस पर अविश्वास करने का कोई भी कारण अभिलेख पर नहीं है, परन्तु उपरोक्त निष्कर्ष नहीं निकालकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है, अतः निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे के आधार पर नामान्तरण की मॉग की गई है । उक्त आवेदन पत्र को निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कब्जे के आधार पर स्वत्व देने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर व्यवहार न्यायालयों को प्राप्त है, अतः तहसीलदार कब्जे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण करने हेतु सक्षम नहीं थे, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर